प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सरकार को प्रस्तुतीकरण के लिये 1984 में यथा संशोधित, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार की गई है। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

रिपोर्ट में 'ओएनजीसी में कच्चे तेल की उत्पादन मापन और रिपोर्टिंग प्रणाली' की लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। अंकलेश्वर परिसंपत्ति में कच्चे तेल के उत्पादन की अधिक रिपोर्टिंग होने पर, ओएनजीसी की समस्त परिसंपत्तियों की कच्चे तेल की माप और रिपोर्टिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा की गई।

रिपोर्ट में कच्चे तेल की उत्पादन मापन और रिपोर्टिंग प्रणाली में कमियां और असंगति देखी गई जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा रिपोर्ट किये गये कच्चे तेल के उत्पादन के आंकड़े अधिक दर्शाये गये। इससे कम्पनी के निष्पादन के गलत आंकड़े प्रस्तुत हुये और परिणामस्वरूप कम्पनी पर अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ पड़ा।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा पूर्ण करने के लिये अभिलेखों, सूचना और स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु ओएनजीसी और पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किये गये सहयोग के लिये आभार व्यक्त करती है।